तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3954/2005/भीलवाडा हसन खां बनाम नजीर खां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित** श्री गौरव दवे, अधिवक्ता, अपीलार्थी श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी -4 **निर्णय** **दिनांक 02.05.2019** अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-06-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत कर कथन किया कि नगपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 179/133 रकबा 05बीघा भूमि 2500/-रूपये में प्रत्यर्थी नजीर खां ने विक्रय कर अपीलार्थी को कब्जा दे दिया जबकि प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी वास्तव में कब्जा नहीं रहा। नजीर खां को आराजी नम्बर 179/133 रकबा 05बीघा आवंटित की जाकर खातेदारी प्रदान की गयी लेकिन उक्त भूमि काबिल काश्त नहीं होने से नजीरखां का कब्जा नहीं रहा। नजीर खां ने आवंटन आदेश के पूर्व ही आराजी खसरा नम्बर 142 पर कब्जा करके खेती करता आ रहा था, जिसके आराजी नम्बर 142 मिन रकबा 03बीघा 03बिस्वा एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3954/2005/भीलवाडा हसन खां बनाम नजीर खां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	242/142 रकबा 02बीघा 10बिस्वा पडे और दिनांक 9-1-1982 के बदले में इन्हीं आराजियात का कब्जा प्रार्थी अपीलार्थी को दिया था। अतः आरजी नम्बर 179/133 रकबा 05बीघा के बदले जो विक्रयशुद्धा है और कब्जे में नहीं होने से प्रार्थी के कब्जेशुद्धा आराजी 142मिन रकबा 03बीघा 03बिस्वा एवं 242/1421 रकबा 02बीघा 10बिस्वा भूमि आवंटी को आवंटित मानी जाकर उसके द्वारा विक्रय कर देने से कब्जा उक्त भूमि पर होने से राजस्व रिकार्ड में आराजी नम्बर के परिवर्तन किये जाने के आदेश पारित किये जावे। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 04-04-2003 से प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28-06-2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या-1 से आराजी खसरा नम्ब्र 179/133 रकबा 05बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की, जो प्रत्यर्थी संख्या-1 को आवंटित हुई थी किन्तु प्रत्यर्थी संख्या-1 का कब्जा काश्त आवंटन आदेश के पूर्व ही आराजी खसरा नम्बर 142 पर चला आ रहा था, जिसके आराजी नम्बर 142 मिन रकबा 03बीघा 03बिस्वा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3954/2005/भीलवाडा हसन खां बनाम नजीर खां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं 242/142 रकबा 02बीघा 10बिस्वा कायम किये गये। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर विक्रयपत्र की दिनांक से लगातार अपीलार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। उनका कथन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश क्षेत्राधिकारविहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही था। फिर भी अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर खारिज कर दिया। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर प्रकरा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-4 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ने धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के प्रार्थनापत्र के माध्यम से जो अनुतोष चाहा गया वह उसे प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवाय चक एवं औघोगिक प्रयोजनार्थ सेटअपार्ट भूमि है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश निरस्त हो चुका है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी स्वयं की ओर से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3954/2005/भीलवाडा हसन खां बनाम नजीर खां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील प्रस्तुत की गयी थी, अपील के विचाराधीन रहते अपीलार्थी की ओर से क्षेत्राधिकार बाबत् कोई आपत्ति नहीं उठाई गयी। ऐसी स्थिति में प्रकरण को सक्षम न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत कर विक्रय पत्र एवं कब्जे के आधार पर खसरा नम्बर दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में विवादित आराजी 179/133 रकबा 05बीघा भूमि बाबत् जारी आवंटन आदेश को सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से खारिज किया जा चुका है। जब प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश ही अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-7-1998 से निरस्त हो चुका है तो उक्त आवंटित भूमि बाबत् निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 7-5-1975 कोई महत्व नहीं रखता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सिवायचक खसरा नम्बर की भूमि के विनिमय का अनुतोष चाहा गया है। धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रार्थनापत्र के माध्यम से केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। उक्त के मद्देनजर प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3954/2005/भीलवाडा हसन खां बनाम नजीर खां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकारी माण्डलगढ द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुरूप विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के समक्ष प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	